

उदारवादी युग में कांग्रेस द्वारा आयोजित विभिन्न अधिवेशनों :-

सन् 1885 से 1905 तक के उदारवादी युग में कांग्रेसी नेताओं द्वारा विभिन्न सभों पर अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में इक्कीस (21) अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रत्येक अधिवेशन में कुछ न कुछ नए ब्रिटिश सरकार के पास बौली जाती थी। जिसकी भाषा अत्यंत श्रेष्ठ और विनम्र थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

- (i) विद्यालय परिषदों का विस्तार किया जाऊ तथा इसके लिए निर्वान्यन की प्रणाली अपनाई जाऊ।
- (ii) जूरी प्रथा को देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाये।
- (iii) कार्यकारिणी और न्यायपालिका स्व-दूसरे से स्वतन्त्र होनी चाहिए।
- (iv) भारतीय परिषद को स्थापित किया जाये।
- (v) रेलों पर छुट्टी कम किया जाये। भारतीयों को शैक्षिक शिक्षा दी जाऊ व सरकार शैक्षिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोले।
- (vi) भारतीयों के हितों की विदेशों में रक्षा की जाये।
- (vii) भारतीयों को व्यापारिक सेवा (आई० सी० एन०) की परीक्षाएँ भारत एवं इंग्लैण्ड में साथ-साथ आयोजित की जाये एवं उनमें भाग लेने के लिए अधिकतम आयु रखी जाये।
- (viii) भूमि कर में कमी की जाये।
- (ix) नमक कर कम की जाये।
- (x) भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाये।
- (xi) शस्त्र कानून में संशोधन हो।
- (xii) बेगार प्रथा का अन्त हो।
- (xiii) कृषि बैंक खोले जायें जिससे गरीब जनता को ऋण मिल सके। सरकार को कृषि व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।

उदारवादियों की प्रमुख नीतियाँ या विचारधारा!

उदार राष्ट्रियता के इस काल में कांग्रेसी नेता क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे। उदारवादी नेता उच्च घराबों के थे। उन्होंने सम्पूर्ण देश के हीत में ही अपना हित समझा। सन् 1885 से 1905 तक के काल में भारत के शक्रीय आन्दोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियन्त्रण बना रहा। इन उदारवादियों की विचारधारा या नीतियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जाता सकता है—

- ① ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा -
- ② अंगरेजों की न्यायप्रियता में विश्वास -
- ③ ब्रिटेन के साथ
- ④ पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्थाओं में अतूट विश्वास -
- ⑤ क्रमिक सुधारों में विश्वास -
- ⑥ ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य -
- ⑦ शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास -

उदारवादियों की कार्य-प्रणाली-

उदारवादी नेता अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास रखते थे। वे सरकार से किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार नहीं थे। वे हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। उन्होंने अपनी माँगों को पूरा करने के लिए संवैधानिक साधनों का मार्ग अपनाया। ① प्रार्थना-पत्र

- ② स्मृति-पत्र
 - ③ प्रतिनिधि मण्डल
- इसके शब्दों में उदारवादियों के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

- ① शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों में विश्वास।
- ② प्रार्थना-पत्र तथा प्रतिनिधि मण्डल बनाने का तरीका।
- ③ राजनीतिक माचन एवं स्मृति-पत्र।
- ④ क्रमिक परिवर्तन में विश्वास।

⑤ नैतिक और राजनीतिक दबाव डालना -

उदारवादियों की असफलताएँ -

सन् 1885 से 1905 तक जिन उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व रहा, उनकी अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। आलोचकों के अनुसार उदारवादियों की न तो राजनीतिक विचारधारा सही थी और न उनके साधन प्रभावकारी थे। उदारवादियों की असफलताओं या क्लृप्तियों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं -

- ① ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति गलत धारणा -
- ② पाश्चात्य ङंग से प्रभावित -
- ③ जन-सम्पर्क का अभाव -
- ④ साधनों की दुर्बलता -
- ⑤ स्वतन्त्र भारत के दृष्टिकोण का अभाव -

उदारवादियों की सफलताएँ -

यद्यपि उदारवादियों को अपने उद्देश्यों में पूर्ण सफलता नहीं मिली परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सन् 1885 से 1905 तक उदार राष्ट्रियता का कल्प निर्णय रहा। उदारवादियों के कार्यों के महत्व का अद्यययन निम्न रूपों में किया जा सकता है -

- ① सन् 1892 में भारतीय ^{परिषद्} अधिनियम -
- ② राजनीतिक शिक्षा -
- ③ राष्ट्रीय जागरण का शुभारम्भ -
- ④ स्वतन्त्रता संसाम के आधार का निर्माण -
- ⑤ ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना -

मैरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था
पाण्डेयपुर, ता. ता. बलिया